न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 189/19

अनवान

1. देवीलाल
2. लीलूराम
3. रायसिंह

पुत्रान श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादीगण**

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सवित्री पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्याना पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 20-01-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 9 जेएसएल के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के नये खाता सं0 352/346 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 172 के किला नं0 11 से 13, 18 से 23 व पत्थर नं0 0 के मु0नं0 173 के किला नं0 15, 16, 25 पत्थर नं0 0 के मु0नं0 194 के किला नं0 5, 6, 15, 16/1 व पत्थर नं0 0 के मु0नं0 195 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 इस खाता की 6.9570 है0 बारानी कृषि भूमि व चक सरदारपुराबास भोला के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 3/3 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 1 के किला नं0 1 से 5, 7 से 14, 17 से 20, 24 इस खाता की कुल 4.5540 है0 कृषि भूमि जिसमें बारानी 4.5020 है0 गैरमुमकिन रास्ता 0.0520 है0 है, चक 9 जेएसएल के खाता सं0 352/346 वाली भूमि वादीगण के खाता सं0 3/3 की 4.5540 है0 भूमि में वादीगण के पिता के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा वाद भूमि है।.

उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता हंसराम पुत्र जीतराम से प्राप्त हुई है इस प्रकार वाद भूमि पुश्तैनी व दादालाई कृषि भूमि है नकल जमाबन्दी एकीकरण विभाग व खसरा गिरदावरी भू–प्रबन्धन विभाग 2018 से 20 संलग्न वाद है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हुई है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि के वादीगण व उसकी बहने प्रतिवादीया सं0 2 व 3 जन्म से ही खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि की बाबत वादीगण

सहायक कल
(फास्ट ट्रेक)...

व प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 21.03.2019 को मौखिक पारिवारिक समझौता हो गया था, जिससे प्रतिवादी सं0 2 व 3 जो वादीगण की सगी बहने है ने वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया तथा वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होंगे तय किया गया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रवाली किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी रायसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 9 जेएसएल खाता सं0 352/346 सम्वत 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम सरदारपुराबास भोला खाता सं0 3/3 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय ग्राम) 9 जेएसएल सम्वत् 2018 से 21 प्रदर्श 3, प्रमामित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक बारानी ग्राम सरदारपुराबास भोला सम्वत् 2019 प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र प्रदर्श.5 प्रदर्शित करवाये एवं जमाबन्दी खतौनी ग्राम सरदारपुरा बास भोला सम्वत् 2029 से 38 पेश की है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद, वादीगण ने चक 9 जेएसएल व ग्राम सरदारपुराबास भोला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय ग्राम) 9 जेएसएल सम्वत् 2018 से 21 प्रदर्श 3, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक बारानी ग्राम सरदारपुराबास भोला सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा हंसराम वल्द जीतराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में श्योचन्द के वारिसान में तीन पुत्र लीलूराम, देवीलाल, रायसिंह व दो पुत्रियां सावित्री, ज्याना होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 जेएसएल के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के नये खाता सं0 352/346 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 172 के किला नं0 11 से 13, 18 से 23 व पत्थर नं0 0 के मु0नं0 173 के किला नं0 15, 16, 25 पत्थर नं0 0 के मु0नं0 194 के किला नं0 5, 6, 15, 16/1 व पत्थर नं0 0 के मु0न0 195 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 इस खाता की 6.9570 है0 बारानी कृषि भूमि व चक सरदारपुराबास भोला के

सहायक कल
(फास्ट ट्रेक)भा

जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 3/3 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 1 के किला नं0 1 से 5, 7 से 14, 17 से 20, 24 इस खाता की कुल 4.5540 है0 कृषि भूमि जिसमे बारानी 4.5020 है0 गैरमुमकिन रास्ता 0.0520 है0 है, चक 9 जेएसएल के खाता सं0 352/346 वाली भूमि वादीगण के खाता सं0 3/3 की 4.5540 है0 भूमि में वादीगण के पिता के नाम 1/3 हिस्सा व चक सरदारपुराबास भोला के खाता सं0 3/3 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/6 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 श्योचन्द का नाम दोनों खातों से कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर अर्थात् चक 9 जेएसएल में श्योचन्द के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि व चक सरदारपुराबास भोला के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज 1/6 हिस्सा में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाये वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना संपूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 189/19

अनवान

1. देवीलाल
2. लीलूराम
3. रायसिंह

} पुत्रान श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. श्योचन्द पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सवित्री पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्याना पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास भोला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 जेएसएल के जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के नये खाता सं0 352/346 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 172 के किला नं0 11 से 13, 18 से 23 व पत्थर नं0 0 के मु0नं0 173 के किला नं0 15, 16, 25 पत्थर नं0 0 के मु0नं0 194 के किला नं0 5, 6, 15, 16/1 व पत्थर नं0 0 के मु0न0 195 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 20 इस खाता की 6.9570 है0 बारानी कृषि भूमि व चक सरदारपुराबास भोला के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 3/3 के पत्थर नं0 0 के मु0नं0 1 के किला नं0 1 से 5, 7 से 14, 17 से 20, 24 इस खाता की कुल 4.5540 है0 कृषि भूमि जिसमें बारानी 4.5020 है0 गैरमुमकिन रास्ता 0.0520 है0 है, चक 9 जेएसएल के खाता सं0 352/346 वाली भूमि वादीगण के खाता सं0 3/3 की 4.5540 है0 भूमि में वादीगण के पिता के नाम 1/3 हिस्सा व चक सरदारपुराबास भोला के खाता सं0 3/3 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/6 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है में प्रतिवादी सं0 1 श्योचन्द का नाम दोनों खातों से कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर अर्थात् चक 9 जेएसएल में श्योचन्द के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा कृषि भूमि व चक सरदारपुराबास भोला के राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाये वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना संपूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
मुकेश बारैठ
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: